अंक 19, संख्या 1

अप्रैल–सितम्बर, 2019

जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का त्रैमासिक न्यूज़लैटर

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा

24 जुलाई, 2019, नई दिल्ली

जनसंख्या और विकास के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए नोडल सांसदों के संघ, भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास (आई.ए.पी.पी.डी.) ने 24 जुलाई, 2019 को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा विषय पर महिला सांसदों की एक बैठक संसद एनेक्सी में आयोजित की। बैठक का उद्देश्य इस मुद्दे पर विस्तार से विचार–विमर्श करना था और भारत को अपनी महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के प्रयासों एवं तरीको पर चर्चा करना था।

संसद के दोनों सदनों एवं सभी राजनीतिक दलों के लगभग 35 सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया। महिला मुद्दों और महिला सशक्तीकरण को संबोधित करने के प्रयासों को भी पुरुषों की भागीदारी की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप, कुछ पुरुष सांसदों ने भी इस चर्चा में भाग लिया। बैठक की मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री थीं। राज्य सभा के पूर्व उपाध्यक्ष और आई.ए.पी.पी.डी. के अध्यक्ष प्रो.पी.जे. कुरियन ने चर्चा की अध्यक्षता की।

श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, आई.ए.पी.पी.डी., ने माननीय मंत्री एवं सभी उपस्थित सांसदों का चर्चा में भाग लेने के लिए स्वागत किया।

आई.ए.पी.पी.डी. की उपाध्यक्ष सुश्री विप्लव ठाकुर, सांसद ने भी माननीय मंत्री और सभी सांसदों का स्वागत किया। अपनी स्वागत टिप्पणी में उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री भारत में महिला सशक्तीकरण का एक प्रतीक है। सुश्री ठाकुर ने राज्य में मज़बूत विधानों के बावजूद महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध में अभूतपूर्व वृद्धि एवं दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण और कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ कानून पर अपनी आशंकाओं और चिंताओं को साझा किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वन–टू–वन बातचीत और मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श उत्साही महिला सांसदों को महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध हिंसा के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाएगा।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

पृष्ठ 3 पर जारी .....

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

सम्पादक की कलम से

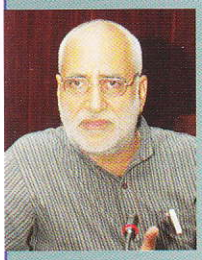

महिलाओं के मानव अधिकारों का आनंद हर जगह उनके खिलाफ हिंसा के कारण विवश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह शक्ति और नियंत्रण की अभिव्यक्ति है और दुनिया भर में महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य, अस्तित्व, सुरक्षा और स्वतंत्रता को बाधित करते हुए लैंगिक असमानताओं को बनाए रखने के लिए एक साधन है। महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए, हमें उनके पूर्ण अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना चाहिए, जिसमें न्याय और समर्थन सेवाओं तक पहुंच शामिल है, और उनके जीवन के सभी पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

सरकार, समुदायों और परिवारों के लिए प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता की ओर होनी चाहिए। भारत में, पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा कानूनी और नीतिगत सुधारों, घरेलू और यौन हिंसा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और समर्थन के लिए सेवाओं के विस्तार के लिए बहुत कुछ किया गया है। इसके अलावा, निवारक प्रयासों ने एड्वोकेसी और अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया है जिस के कारण यह मुद्दा सार्वजनिक चेतना में लाया जा सका है।

सांसद, देश के नीति निर्माता होने के नाते, इस सामाजिक कुरीति को मिटाने में महत्वपूर्ण भूकिमा निभा सकते हैं। साथ ही, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक समूहों और संगठनों, लोकप्रिय फिल्म सितारों और खेल हस्तियों जैसे सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने में मदद करती है।

भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास, जनसंख्या और विकास के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए सांसदों के संघ ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा विषय पर सांसदों की एक बैठक 24 जुलाई, 2019 को संसद एनेक्सी में आयोजित की। बैठक का उद्देश्य इस मुद्दे पर विस्तार से विचार–विमर्श करना था और भारत को अपनी महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के तरीके पर चर्चा करना था।

संसद के दोनों सदनों से और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 35 सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया। महिला मुद्दों और महिला सशक्तीकरण को संबोधित करने के प्रयासों को भी पुरुषों की भागीदारी की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप, कुछ पुरुष सांसदों ने भी इस चर्चा में भाग लिया। बैठक की मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री थीं। चर्चा की अध्यक्षता राज्य सभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भारतीय संसदीय संस्थान–जनसंख्या एवं विकास के अध्यक्ष प्रो. पी. जे. कुरियन ने की।

चर्चा के दौरान, यह महसूस किया गया कि हिंसा को प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ–साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के बीच समन्वय और अभिसरण की आवश्यकता है। इसके लिए न्यायिक और कानूनी संरक्षण एवं दो मंत्रालयों से परे समन्वित प्रतिक्रिया और प्रयासों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्त और रोज़गार, लघु उद्यम, आवास, परिवहन, शहरी नियोजन जैसे मंत्रालयों को अपने दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने इस राय पर ज़ोर दिया कि संसद सदस्यों के सक्रिय रवैये, ज़िम्मेदारियों के निर्वाह और पहल हेतु उनका झुकाव ज़मीनी स्तर पर महान परिवर्तन ला सकता है।

मनमोहन शर्मा
कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः
जनसख्या एवं विकास

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की स्थिति पर एक विषयगत प्रस्तुति – मुद्दों, मिथकों और चुनौतियों को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) द्वारा प्रस्तुत किया गया।

महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी ने कहा कि इस प्रकार का मंच, जहां संसद सदस्य स्वेच्छा से बिना किसी पार्टी कोड के आते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार और विचार साझा करतें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसदों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में योजनाबद्ध हस्तक्षेप को मज़बूत करने से संबंधित प्रश्नों के बारे में मंत्री ने कुछ सुझाव दिए। उन्होने दृढ़ता से अपनी राय रखी कि संसद सदस्यों के सक्रिय रवैये और ज़िम्मेदारियों और नवीन शुरुआतों को आरम्भ करने के लिए उनका झुकाव ज़मीनी स्तर पर महान परिवर्तन लाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री ने कुछ हस्तक्षेपों का सुझाव दिया।

मंत्री ने सांसदों को आश्वासन दिया कि वह हमेशा महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में उपलब्ध हैं और जो भी रचनात्मक आवश्यकताएं हैं उन्हें प्रदान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, उन्होने सांसदों से यह भी अनुरोध किया कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर अपनी भूमिका का पता लगाने की आवश्यकता है क्योंकि वे ज़मीनी स्तर की आवश्यकताओं के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानते हैं और आवश्यक हस्तक्षेपों के लिए मंत्री को सूचित किया जा सकता है।

श्री अविनाश राय खन्ना, पूर्व–सांसद, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, वाइस चेयर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ज़मीनी स्तर से उदाहरणों को साझा किया और कहा कि परिवार वह पहला स्थान है जहां लड़की को भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है।

चर्चा सत्र के दौरान, प्रत्येक सांसद ने वन–स्टॉप केंद्रों के काम करने के तरीके पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से बुनियादी ढ़ांचे की कमीं पर प्रकाश डाला – दोनों जनशक्ति और भौतिक – और इन केंद्रों को इसके उचित कामकाज से लैस करने की आवश्यकता के लिए आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय को कुछ निगरानी तंत्र बनाने और लागू करने चाहिए। इन केंद्रों की दृश्यता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

इसी तरह की चिंता असम के एक अन्य सांसद ने भी साझा की। असम में केवल एक वन–स्टॉप–सेंटर चालू है और वह भी बहुत खराब स्थिति में काम कर रहा है। असम में महिलाओं की स्थिति राज्य में कुछ और वन–स्टॉप–सेंटरो की मांग करती है। रिमांड हाउस और स्टेट होम्स की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसे परिदृश्य को देखते हुए सांसद मंत्रालय का समर्थन चाहते थे ताकि वह उस पर काम कर सकें। माननीय मंत्री ने बताया कि वह जल्द ही पोक्सो संशोधन अधिनियम और अन्य कृत्यों के कार्यान्वयन के बारे में एक पत्र लिखने जा रही हैं। इससे सांसदों को 'दिशा' बैठकों के दौरान ज़िला पुलिस अधीक्षक और ज़िला मजिस्ट्रेट से पोस्को संबंधित मामलों की जानकारी मिल सकेगी (केन्द्र सरकार के लगभग सभी कार्यक्रमों के प्रभावी विकास समन्वय के लिए केन्द्र द्वारा गठित जिला विकास समन्वय

प्रतिभागी अपने विचार एवं अनुभव साझा करते हुए।

एवं निगरानी समिति का नाम दिशा रखा गया है)। यह वन–स्टॉप–केंद्रों के विषय में भी किया जाएगा और यह पत्र कानून निर्माताओं को अपने क्षेत्र में योजना को मज़बूत करने में सक्षम करेगा।

माननीय मंत्री अपने विचार व्यक्त करते हुए।

एक अन्य सांसद ने हेल्पलाइन के साथ–साथ महिला पुलिस स्टेशनों में कर्मियों की असंवेदनशीलता और अनुत्तरदायी व्यवहार की कमीं के प्रति अपनी आशंका को साझा किया। उन्होंने कर्मियों को जागरूक करने और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया।

ओडिशा के एक सांसद ने न केवल आम लोगों के बीच, बल्कि अपने राज्य में इन योजनाओं के बारे में कानून निर्माताओं, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों, में जागरूकता की कमीं के बारे में अपनी चिंता को साझा किया। उन्होने कहा कि प्राधिकरण को कानून बनाने वालों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को राज्य–वार संपर्क नंबर और वन–स्टॉप केंद्रों के विवरण तक पहुंच बनाने के लिए कानून–निर्माताओं की सहायता करनी चाहिए।

एक अन्य सांसद ने सुझाव दिया कि एक नीति देश में विविध महिला आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं करेगी। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दे और चुनौतियां बहुत अलग हैं। इन चुनौतियों और मुद्दों को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं की आवश्यकता होती है।

आंध्र प्रदेश के एक सांसद ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न हितधारकों (विधायकों सहित) के बीच जागरूकता की कमीं है। उन्होने न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय से सुझाव और मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया।

एक अन्य सांसद का मानना था कि महिलाओं द्वारा संपत्ति/घर का स्वामित्व भी महिलाओं को हिंसा से बचाता है। बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा संपत्ति के स्वामित्व को शामिल करने या इस तरह के प्रावधानों को शामिल करने पर ज़ोर देने के लिए फॉर्मूला बनाना, शुरू करना और कार्यान्वित करना महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और समाप्त करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि, मंत्री ने आगाह किया कि इस तरह की पहल का अत्यधिक दुरुपयोग होगा।

महिला सांसदों में से एक, जो एक पेशेवर चिकित्सा व्यवसायी भी हैं, ने कहा कि वह इलाज से बेहतर रोग की रोकथाम में विश्वास करती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को पाठ्यक्रम के भीतर नैतिक विज्ञान को भी शामिल करना और इसे मज़बूत करना अनिवार्य करना चाहिए। नैतिक विज्ञान या नैतिक शिक्षा हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करती है जो हमारी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को बचपन में जो विचार और मूल्य मिलते हैं वे जीवन भर बने रहते हैं। यह एक ऐसी अवधि है जहां बच्चे के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है।

एक अन्य सांसद द्वारा महिला थानों को पुलिस थानों से अलग करने का सुझाव भी था क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने आप को पुलिस थानों में जाने से रोकती हैं क्योंकि वहां के पुलिसकर्मी उनके मुद्दों के प्रति असंवेदनशील होते हैं।

वर्ष 2018 में ओडिशा में आयोजित महिला सुरक्षा अभियान का लेखा–जोखा देते हुए, एक सांसद ने साझा किया कि इस अभियान में प्रत्येक महिला को तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रभार दिया गया था। इस तरह की पहल के बावजूद, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की दर लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय को कड़े कदम उठाने चाहिए और कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए पहल करनी चाहिए।

चर्चा धन्यवाद के वोट के साथ समाप्त हुई और यह आशा की गई कि इन सुझावों और सलाहों को आगे बढ़ाया जाएगा।

अपने समापन भाषण में प्रो.पी.जे. कुरियन ने कहा कि पुरुषों में व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम में प्राथमिक और मूलभूत स्तर से नैतिक विज्ञान का पाठ होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली द्वारा लड़कियों और लड़कों के बीच के संबंध को सिखाना चाहिए।

महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम पर क्षेत्रीय सांसदों की बैठक

जुलाई 4–5, 2019, वियनतियाने, लाओ पी.डी.आर.

जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई.सी.पी.डी.) की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए, एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ, जापान द्वारा नेशनल असेंबली ऑफ लाओ पी.डी.आर. और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) के सहयोग से महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम पर क्षेत्रीय सांसदों की बैठक का आयोजन 4–5 जुलाई, 2019 को वियनतियाने, लाओ पीडीआर में किया।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, प्रतिभागियो को संबवेधित करते हुए।

बैठक में प्रतिभागियों को एशिया–प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने, एक–दूसरे से अनुभव साझा करने, सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने, आई.सी.पी.डी. कार्यक्रम की पुनःपुष्टि करने, एवं प्राथमिकता नीतिगत हस्तक्षेप की पहचान करने के लिए एक अमूल्य मंच प्रदान किया गया ताकि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पीछे न रहे।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, श्रीमती छाया वर्मा, सांसद, एवं आई.ए.पी.पी.डी. के सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने इस बैठक में भाग लिया।

श्रीमती छाया वर्मा, सांसद, बैठक में भाग लेते हुए।

'महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम में अच्छे आचरण की साझेदारी' पर अपनी प्रस्तुति में, श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, ने कहा कि भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत निहित है। उन्होंने महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों और लैंगिक हिंसा पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय पहलों के बारे में भी बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण, बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा की।

अंत में, सभी प्रतिभागियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकारें, सिविल सोसाइटी और एड्वोकेसी एजेंसियां इस जानकारी से लाभान्वित होंगी और बैठक में साझा किए गए क्षेत्र के अनुभवों और निष्कर्षों से निर्देशित होंगी।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

आइए हम किसी भी गर्भवती महिला और बच्चे को रोकथाम के कारणों से न हारने की दिशा में काम करें - विश्व जनसंख्या दिवस पर डा. हर्षवर्धन

जनसंख्या स्थिरीकरण के कारण प्रति वर्ष एक महीने समर्पित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों से अपील

जुलाई 11, 2019, नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व जनसंख्या दिवस, 2019 के अवसर पर जनसंख्या एवं विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई.सी.पी.डी.) से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला@25 ईयर्स द लिवरेजिंग पार्टनरशिप्स के उद्घाटन के अवसर पर कहा, "आइए, हम सब रोकथाम की जा सकने वाली बीमारियों से किसी गर्भवती महिला और बच्चे की मृत्यु न होने दें"। 25 साल पहले 1994 में आज ही के दिन काहिरा में महत्वपूर्ण आई.सी.पी.डी. का आयोजन हुआ था। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में देश 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण का साक्षी बनेगा जिसमें विकास का सकारात्मक निर्णायक तत्व 'स्वास्थ्य' होगा। उन्होंने कहा, 'सरकार स्वास्थ्य से जुड़े मसलों का समाधान करने, इसके स्तर में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।' इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। परिवार नियोजन केवल जनसंख्या स्थिरीकरण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह महिलाओं, परिवारों और समुदायों के बेहतर स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. एस. वेंकटेश, सीजीएचएस के ए.एस. और डी.जी. श्री संजीव कुमार, एन.एच.एन. के अवर सचिव तथा मिशन निदेशक श्री मनोज झलानी, संयुक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मनमोहन शर्मा, ने इस कार्यक्रम में भारतीय जनसंख्या एवं विकास संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

मंच पर आसीन गणमान्य अतिथि।

आई.सी.पी.डी.+ 25 के लिए जनसंख्या और विकास पर एशियाई और अफ्रीकी सांसदों की बैठक

5–8 अगस्त, 2019, डार–ए–सलाम, तंज़ानिया

आई.सी.पी.डी.+25 पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्य, इसके नैरोबी शिखर सम्मेलन की समझ और क्षेत्रीय सांसदों को समझने के लिए एक मंच प्रदान करने, आई.सी.पी.डी. कार्यक्रम और सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने हेतु ठोस उपाय करने, एवं सांसदों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया।

श्रीमती विप्लव ठाकुर बैठक में विचार व्यक्त करते हुए।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, और श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, आई.ए.पी.पी.डी. ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, सांसद श्रीमती विप्लव ठाकुर द्वारा सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा हेतु सांसदों के कार्यों विषय पर एक प्रस्तुति दी गई। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने एस.डी.जी. के लिए भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान ने राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए रोड मैप तैयार किए हैं जो कई एस.डी.जी. में परिलक्षित होते हैं। माननीय प्रधान मंत्री और भारत के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के बयानों के अनुसार, भारत सरकार एस.डी.जी. के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। विश्व स्तर पर एस.डी.जी. की सफलता को निर्धारित करने में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

श्री मनमोहन शर्मा क्षेत्रिय दौरे के समय स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी से विचार विमर्श करते हुए।

बैठक के अंत में, प्रतिबद्धता की घोषणा को अपनाया गया। सांसदों ने आई.सी.पी.डी. कार्यक्रम के पूर्ण कार्यान्वयन को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए मज़बूत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित की और सन् 2030 तक काहिरा में की गई प्रतिबद्धताओं और एस.डी.जी. को प्राप्त करने के लिए सरकारों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए सांसदों के रूप में अपनी भूमिका का उपयोग करने की अपील की।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

आई.सी.पी.डी. के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना

18–20 सितंबर, 2019, मोरक्को

आई.सी.पी.डी. 25 के लिए जनसंख्या और विकास पर अरब और एशियाई सांसदों की बैठक का आयोजन एशियन जनसंख्या एवं विकास संघ द्वारा मोरक्को के प्रतिनिधियों की सभा के साथ 18–20 सितंबर, 2019 को किया गया।

प्रतिबद्धता की घोषणा।

बैठक का उद्घाटन मोरक्को के हाउस ऑफ काउंसिलर्स के अध्यक्ष, महामहिम अब्देलहाकिम बेनचमच द्वारा किया गया।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, एवं श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, आई.ए.पी.पी.डी. ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, आई.सी.पी.डी. के अधूरे कार्यों, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन पॉलिसीज और एस.डी.जी. की प्राप्ति, महिला सशक्तीकरण, लिंग समानता और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (एस.आर.एच.) के लिए सार्वभौमिक पहुंच आदि को संबोधित करने में सांसदों की भूमिका पर पैनल चर्चा हुई।

महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता और यूनिवर्सल एक्सेस टू एस.आर.एच. पर सत्र की अध्यक्षता करते हुए, सांसद, श्रीमती विप्लव ठाकुर ने कहा कि हालांकि 1994 में आई.सी.पी.डी. के बाद से बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है। आई.सी.पी.डी. लक्ष्यों की उपलब्धि कानूनों, नीतियों और वित्त पोषण में अंतराल को भरने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी। भारत के उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सांसदों के रूप में, हम अपने लोगों की आवाज को ठोस कार्रवाई में बदलने की शक्ति रखते हैं। हमारे पास वास्तविक अंतर बनाने की शक्ति है।

बैठक के अंत में, सांसदों द्वारा प्रतिबद्धता की घोषणा की गई।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

चीनी दूतावास पत्रिका के नए संस्करण का शुभारंभ समारोह, चीन से समाचार - चीन-भारत समीक्षा

10 अप्रैल, 2019, नई दिल्ली

दूतावास पत्रिका के नए संस्करण की समीक्षा के उद्देश्य से, चीन से समाचार, सदस्यों की प्रतिक्रियाओं, टिप्पणियों और सुझावों को साझा करते हुए, 10 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में एक लॉन्च समारोह आयोजित किया गया।

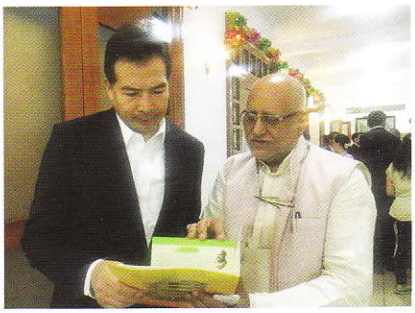

श्री मनमोहन शर्मा माननीय राजदूत को आई.ए.पी.पी.डी. की गतिविधियों की जानकारी देते हुए।

भारत में चीन के राजदूत महामहिम लुओ झाओहुई ने मुख्य भाषण दिया और प्रख्यात अतिथियों की उपस्थिति में पत्रिका के नए संस्करण का शुभारंभ किया।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

समारोह में आई.ए.पी.पी.डी. द्वारा भाग लिया गया।

विचार–विमर्श के दौरान, यह सुझाव दिया गया कि दोनों देशों में जनसंख्या और परिवार नियोजन पर नीतियों और कार्यक्रमों पर विशेष रूप से हितधारकों के साथ अधिकतम जानकारी साझा की जानी चाहिए।

अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने भारतीय कारपोरेट्स को तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में साथ लाने की पहल का शुभारंभ किया

25 अप्रैल, 2019, नई दिल्ली

माननीय राजदूत प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

भारत में अमेरिकी राजदूत महामहिम केनेथ आई. जस्टर ने 25 अप्रैल, 2019 को तपेदिक (टी.बी.) के खिलाफ लड़ाई में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए एक साहसिक नई पहल का आरम्भ किया। यह पहल 2025 तक टी.बी. को समाप्त करने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करती है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य से पांच साल पहले होगा। यह पहल भारत में टी.बी. को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध निगमों के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। यह आयोजन अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में हुआ।

श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, आई.ए.पी.पी.डी. इस लॉन्च समारोह में शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, अमरीकी राजदूत ने उल्लेख किया कि, "संयुक्त राज्य अमेरिका को इस विनाशकारी लेकिन इलाज योग्य बीमारी को मिटाने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के साथ काम करने पर गर्व है। स्वस्थ भारत का आश्वासन देने में भारतीय कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। हम आज यहां आप सभी से टीबी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वाहन करते हैं। "

भारतीय-सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि और सामुदायिक भागीदारों की दिल्ली में बैठक

27 जून, 2019, नई दिल्ली

ग्लोबल टीबी कॉकस ने 27 जून, 2019 को नई दिल्ली में टीबी विषय पर संसदीय एड्वोकेसी में लगे प्रमुख सी.एस.ओ . भागीदारों की एक बैठक की मेज़बानी की। बैठक में प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय पोस्ट–यूएन उच्च स्तर के सांसदों के साथ विचार विमर्श के लिए अगले चरणों की योजना बनाने पर चर्चा हुई। सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड एडवोकेसी के प्रतिनिधि, ग्लोबल गठबंधन ऑफ टीबी एक्टिविस्ट्स, ग्लोबल फंड एडवोकेट्स नेटवर्क इंडिया वर्किंग ग्रुप, ग्लोबल फंड, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज, आई.ए.पी.पी.डी., इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, भारत, एच.आई.वी./एड्स एलायंस, पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च, और यूनियन ने इस चर्चा में भाग लिया।

श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, आई.ए.पी.पी.डी. ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

भारत पर पूरी दुनिया में सबसे अधिक टी.बी. रोगियों का बोझ है और यह 2017 में सभी नए संक्रमणों और मौतों के एक चौथाई भाग से अधिक का घर था। प्रत्येक वर्ष भारत टी.बी. से 420,000 से अधिक लोगों को खो देता है।

पिछले वर्षों में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर टी.बी. महामारी से लड़ने के लिए मज़बूत प्रतिबद्धता दिखाई है। मार्च 2017 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी को समाप्त करेगा।

बैठक के दौरान, भागीदारों ने चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्मुख अपने काम को प्रस्तुत किया, और आने वाले अवसरों और आने वाले महीनों के लिए ज़िम्मेदारी के वितरण के लिए समूहों का गठन किया। ग्लोबल टी.बी. कॉकस के वैश्विक कार्य पर तकनीकी सत्र, टी.बी. पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक और टी.बी. एड्वोकेसी योजनाओं और प्राथमिकताओं के आसपास संदर्भ बनाने के लिए भारतीय संसद की रचना और इतिहास का विवरण दर्शाया गया। बैठक एक कार्य योजना और कार्य ढांचे पर सहमत प्रतिभागियों के साथ संपन्न हुई जो आने वाले महीनों के लिए समन्वय और सामूहिक कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगी।

बैठक में प्रतिभागी विचार विमर्श करते हुए।

राज्य नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं के बीच पुल बनाने में मदद करने के लिए पी.एच.डी. चैंबर कान्क्लेव

7 सितंबर, 2019, नई दिल्ली

अपने मिशन के हिस्से के रूप में राज्यों को सशक्त बनाने और सरकार और उद्योगों के बीच इंटरफेस को मज़बूत करने के लिए, पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 7 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य के नीति–निर्माताओं और उद्योग के नेताओं के लिए एक इंटरएक्टिव मंच प्रदान करना था, और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार, बुनियादी ढ़ांचे, जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ 'न्यू इंडिया मिशन' का समर्थन करना था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री किशन रेड्डी, कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि थे। कुछ विशिष्ट वक्ताओं में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्या डॉ. शामिका रवि शामिल थीं। डॉ. ओंकार राय, महानिदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और डॉ. लवनीश चान्ना, उपाध्यक्ष (डिजिटल सरकार), एशिया प्रशांत सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी इस कान्क्लेव में भाग लिया।

मधुमेह और इसकी रोकथाम के लिए आयुष पर संगोष्ठी

31 मई, 2019, नई दिल्ली

भारत धीरे–धीरे विश्व मधुमेह राजधानी में बदल रहा है और जीवनशैली में बदलाव के कारण दिल से संबंधित बीमारियों के मामलों में खतरनाक वृद्धि हुई है जो व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को धीरे–धीरे खराब कर रही है, जिससे उसका जीवनकाल कम हो रहा है।

वैश्विक रुझानों से संकेत मिलता है कि प्राकृतिक चिकित्सा जीर्ण जीवनशैली और जियाट्रिक विकारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का पसंदीदा सहारा बनने जा रही है और चिकित्सा की भारतीय प्रणाली उभरती स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के सही मायनों में इस्तेमाल किए जाने पर इस जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभात हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा नई दिल्ली में 31 मई, 2019 को आयुष और मधुमेह नियंत्रण के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

संगोष्ठी का उद्देश्य जीवनशैली के रोगों विशेषकर मधुमेह के इलाज में भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व के बारे में सभी हितधारकों को सचेत करना और आयुष उद्योग में संभावनाओं, अवसरों और चुनौतियों पर विचार–विमर्श करना था।

श्री मनमोहन शर्मा, सचिव, आई.ए.पी.पी.डी., ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

संगोष्ठी के अंत में यह अनुशंसा की गई कि आयुष प्रणाली स्वस्थ भारत की प्राप्ति के लिए जीवनयापन की पसंदीदा प्रणाली है और इसे देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देखभाल हेतु विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हे स्वास्थ्य कवर प्राप्त नहीं है।

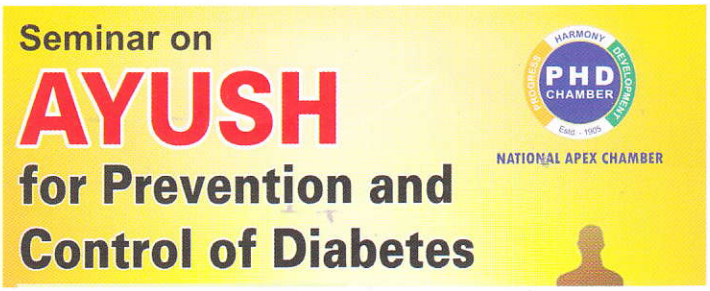

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशालाः स्थिति, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

29 मई, 2019, नई दिल्ली

भारत अपशिष्ट उत्पादन और अपर्याप्त अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत में वर्तमान प्रणालियाँ बढ़ती हुई शहरी आबादी और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव से उत्पन्न कचरे के संस्करणों का सामना नहीं कर सकती हैं। चुनौतियां और बाधाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके निराकरण के अवसर भी हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटः स्टेटस, चैलेंजेज एंड द वे फॉरवर्ड विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा नई दिल्ली में 29 मई, 2019 को किया गया।

इस कार्यशाला में आई.ए.पी.पी.डी. के सचिव श्री मनमोहन शर्मा ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान, भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कई पह. लुओं पर विचार–विमर्श किया गया। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को लागू करते समय व्यावहारिक चुनौतियों का सामना, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन के लिए उपलब्ध टेक्नोलॉजी, वेस्ट से एनर्जी, सक्सेसफुल पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

जनसंदेश

संपादक

मनमोहन शर्मा

जनसंदेश एक त्रैमासिक पत्रिका है

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास

(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शदाता स्थिति)

1/6, सीरा इन्स्टीटयूशनल एरिया, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली–110049

दूरभाषः 011–4165661/67/68/76, फैक्सः 011–41656660

ई.मेल: iappd@airtelmail.in, वेब साईटः www.iappd.org

Asha Enterprises: 9811854631